द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं : और

(ग) यह एसोसिएशन कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) "लघु कृषक एसोसिएशन" (एस. एफ. ए. सी.) को कृषि मंत्रालय द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 1994 को सहकारी समिति पंजियन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत कराया जा चुका है ।

राज्यों के बीज निगमों की संरचना में परिवर्तन करना

1493. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :**
श्री आस मोहम्मद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों के बीज निगम के ढांचे को परिवर्तित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) मार्च, 1990 में 236.01 करोड़ रुपयों की कुल लागत पर राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण III शुरू किया गया था जिसमें विश्व बैंक की 150 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता शामिल है जो इस समय के रुपये डालर समानता मूल्य के अनुसार 405.00 करोड़ रुपये बैठती है । इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :—

(i) किसानों को समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की उपयुक्त किस्मों की उचित दामों पर उपलब्धता सुनिश्चित करा कर उनकी सहायता करना ।

(ii) राष्ट्रीय तथा/राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के बीज निगमों की कार्यक्षमता में सुधार लाना ताकि उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके, और

(iii) पर्याप्त संस्थागत वित्त के द्वारा निजी बीज क्षेत्र के उद्यागों के संवर्धन के लिये सुविधायें उपलब्ध कराना ।

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जैसे 12 सहभागी राज्यों के राज्य बीज निगम भी इस परियोजना के लाभानुभोगी है । व्यावसायिक परामर्शदाताओं द्वारा प्रबंध समीक्षा अध्ययनों पर आधारित अनुमोदित सहमत कार्ययोजना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम, हैदराबाद और गुजरात राज्य बीज निगम, गांधीनगर (गुजरात) को साम्या सांचों में बेहतर वित्तीय क्षमता के लिये परिवर्तन किया गया है । गुजरात के मामले में निगम की शेयर पूंजी ढांचे को निम्न प्रकार की पद्धति अपनाने का सुझाव दिया गया है :—

(क) गुजरात सरकार—60 प्रतिशत
(ख) उत्पादक/सहकारी समितियों/डीलर —20 प्रतिशत
(ग) भारत सरकार—20 प्रतिशत

आन्ध्र प्रदेश के मामले में निगम का पूंजीगत ढांचा इस प्रकार है :—

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार—35 प्रतिशत
(ख) राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार—35 प्रतिशत
(ग) बीज उत्पादक— 35 प्रतिशत

पूंजीगत ढांचे में किये गये इन परिवर्तनों के अतिरिक्त निगम को उनके कार्यात्मक विभागों की अध्यक्षता के लिये व्यवसायिक व्यक्तियों को रखने की भी सलाह दी गई है ।

Farmers' Agitation in Punjab

!494. SHRI RAM JETHMALANI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state whether the Centra! Government are iware of the farmers' agnation in Punjab based ri the lack of storage space at various markets ind the failure of the farmers to dispose of heir agricultural products at reasonable trices ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : There is no farmers' agiiation in Punjab on account of problem of storage space, which may cause them difficulties in the sale of foodgrains. Construction, maintenance and augmentation of infrastructure in Punjab maudis is the statutory responsibility of Punjab State Agricultural Marketing Board under Punjab State Agricultural Marketing Produce Act, 1961.

गन्ने की पैदावार में कमी

1495. श्री आस मोहम्मद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में गन्ने की पैदावार वाले क्षेत्र में निरंतर कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ने की पैदावार वाले क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में गन्ने का राज्य-वार सांविधिक मूल्य कितना-कितना रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) जी नहीं । गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 1990-91 में 36.00 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1991-92 में 38.44 लाख हैक्टेयर हो गया परंतु 1992-93 और 1993-94 में गन्ने का उत्पादन करने वाले राज्यों में वर्षा और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण इसके क्षेत्र में कमी आई । सूचित किया गया है कि 1994-95 में गन्ने के अधीन क्षेत्र 1993-94 की तुलना में पुनः बढ़ा है ।

(ग) वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान गन्ने की खेती के अधीन क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है । (नीचे देखिए)

(घ) गन्ने के न्यूनतम सांविधिक मूल्यों का निर्धारण राज्य-वार के आधार पर नहीं किया जाता । तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान गन्ने के अखिल भारत सांविधिक न्यूनतम मूल्य निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	सांविधिक न्यूनतम मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)
1991-92	26.00
1992-93	31.00
1993-94	34.50
1994-95	39.10

ये मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली के साथ जुड़े हैं जिसमें उस स्तर से आगे प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए आनुपातिक प्रीमियम की व्यवस्था है ।

विवरण

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान गन्ने के क्षेत्र के राज्यवार अनुमान

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94 (अनन्तिम)
आंध्र प्रदेश	202.2	171.2	175.0
असम	37.8	39.9	42.0
बिहार	141.9	132.9	120.0
गुजरात	120.2	127.2	128.0
हरियाणा	161.0	134.0	111.0
हिमाचल प्रदेश	2.1	2.2	2.0
जम्मू तथा कश्मीर	0.4	0.4	1.0
कर्नाटक	285.3	251.1	245.0